

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

222
223

क्रमांक १३६९ / १७७४ / २०१० / ३ / एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक २२ सितम्बर, २०१०

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
संमस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यालय अधिकारी, ज़िला पंचायत,
मध्य प्रदेश।

विषय:- सिविल अपील क्रमांक ५०६ / २००७ खाजिया मोहम्मद मुजमिल विरुद्ध कर्नाटक राज्य व अन्य में पारित निर्णय का पालन बावत्

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक ५०६ / २००७ खाजिया मोहम्मद मुजमिल विरुद्ध कर्नाटक राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक ८ जुलाई, २००७ (प्रति संलग्न) में निमानुसार निर्देश दिये हैं -

"किसी भी कर्मचारी के परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर सेवा नियमों के अनुसार परिवीक्षा अवधि समाप्त करने, परिवीक्षा अवधि में वृद्धि करने अथवा सेवा समाप्त करने के संबंध में जैसी भी स्थिति हो त्वरित कार्यवाही की जाए एवं इसमें अनावश्यक विलम्ब न हो।"

कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : यथोपरि।


24/9/2010
(अकीला कुमार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग